तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/000946

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 08 फरवरी, 2023

मामले में:

ले.पे.अ. 60/2023 व सि.वि.आ. 3385/2023

कमल भसीन .... अपीलार्थी

द्वारा : अपीलार्थी स्वयं

बनाम

आईसीएआई निर्वाचन अधिकरण व अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा :

कोरम :
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

1. रि.या.(सि) 7625/2018 में रिट याचिका को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14.11.2022 को पारित आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने वर्तमान ले.पे.अ. दायर की है। अपीलार्थी ने वर्तमान ले.पे.अ. में निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना की है:

(क) "वर्तमान ले.पे.अ. को अनुमति दी जाए तथा रिट याचिका (सिविल) सं. 7625/2018 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए।

(ख) याचिका में प्रत्यर्थी सं. 3 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत के निपटान के संबंध में प्रत्यर्थी-2 से अभिलेख और फाइलें मंगाई जाए।

(ग) आईसीएआई जैसे सांविधिक निकाय के चुनावों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधिवत अधिसूचित आचार संहिता के उल्लंघन में जून, 2015 में आयोजित संस्थान के परिषद के चुनाव में अपना नामांकन पत्र दायर करते समय झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यर्थी-2 को प्रत्यर्थी-3 के खिलाफ आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।

(घ) ऐसा कोई भी आदेश या निर्देश पारित किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।"

2. यह अपीलार्थी का मामला है कि उसने दिनांक 23.05.2015 को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएमएआई) के उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र के साथ एक झूठा शपथ पत्र दायर करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 3 के खिलाफ शिकायत दायर की थी।

3. कथित शिकायत के अनुसरण में यह प्रस्तुत किया गया है कि सचिव-सह-रिटर्निंग अधिकारी ने दिनांक 29.05.2015 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को सात दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। चूंकि रिटर्निंग अधिकारी, यानी प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने मामले में की जाने वाली कार्यवाही / कार्रवाई की स्थिति का पता लगाने के लिए आईसीएमएआई में आरटीआई आवेदन दायर किया।

4. ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि आईसीएमएआई के जन सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए आवेदन को वापस कर दिया है कि उत्तर देने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि मामले आईसीएमएआई के उचित प्राधिकरण के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं।

5. ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने दिनांक 28.03.2016 के पत्र द्वारा शिकायत को यह कहते हुए बंद कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया मुद्दा चुनाव आचार संहिता, चुनाव नियमों एवं अधिसूचनाओं के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है।

6. ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पत्र प्राप्त होने पर, अपीलार्थी ने आईसीएमएआई परिषद में संयुक्त सचिव-सह-सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति के पास मामले की शिकायत की। ऐसा प्रस्तुत

किया गया है कि अपीलार्थी ने मामले को सचिव, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ मामले का अग्रसर करने का प्रयास किया तथा शिकायत को बंद करते हुए दिनांक 28.3.2016 की डिक्री के खिलाफ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के समक्ष एक अपील दायर की। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की सलाह पर रिटर्निंग अधिकारी ने मामले को निर्वाचन अधिकरण को प्रेषित कर दिया।

7. निर्वाचन अधिकरण ने दिनांक 16.03.2018 के आदेश द्वारा इस आधार पर शिकायत को ग्रहण करने से इंकार करने वाले रिटर्निंग अधिकारी के दिनांक 28.03.2016 के निर्णय को बरकरार रखा कि यह चुनाव आचार संहिता, नियमों और अधिसूचनाओं का उल्लंघन नहीं है।

8. इसलिए, अपीलार्थी ने एक रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आक्षेपित आदेश द्वारा टिप्पणी की कि अपीलार्थी न तो आईसीएमएआई का सदस्य था और न ही उसने चुनाव लड़ा है, लेकिन अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि मामला अभी भी जीवंत है और न्यायालय को न केवल शिकायत को ग्रहण करने से इनकार करने वाले प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दिनांक 28.03.2016 को पारित आदेश को अपास्त करना चाहिए, बल्कि प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा झूठी

घोषणा दाखिल करने के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के लिए आईसीएआई के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष याचिका को संरक्षित रखने के लिए लागत और कार्य लेखाकार (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के तहत व्यथित व्यक्ति नहीं है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि रिटर्निंग अधिकारी के आदेश में त्रुटि नहीं निकाली जा सकती है। इससे व्यथित होकर, वर्तमान ले.पे.अ. दायर किया गया है।

10. अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पाया गया है कि कोई शिकायत लागत और कार्य लेखाकार (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के तहत ग्रहण की जा सकती है जब शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसने चुनाव लड़ा है। कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 का नियम 2(ख) इस प्रकार हैः- -

> *"(ख)" "व्यथित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने परिषद् का वह चुनाव लड़ा था जिससे यह विवाद संबंधित है;"*

11. निःसंदेह, अपीलार्थी ने चुनाव नहीं लड़ा है, और, इसलिए, शिकायत के साथ आगे न बढ़ने के प्रत्यर्थी सं. 2 के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

12. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा दायर तिथियों की सूची से पता चलता है कि निर्वाचन अधिकरण के दिनांक 16.03.2018 के निर्णय के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 28.03.2016 को लिए गए निर्णय के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद, अपीलार्थी ने चार वर्ष से अधिक समय के लिए चुप्पी साध ली, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

13. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि निर्वाचन अधिकरण ने भी केवल अधिकारिता के अभाव के आधार पर अपील को ग्रहण करने से इनकार कर दिया है क्योंकि अपीलार्थी व्यथित पक्ष नहीं है।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पाया गया है, यह न्यायालय भी प्रत्यर्थी सं. 3 के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायतों पर कोई राय नहीं दे रहा

है तथा वह विधि अनुसार अनुमति प्राप्त कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

15. अपील में कोई योग्यता नहीं है और उसे उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, के साथ खारिज किया जाता है।

सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.

सुभ्रमोणयम प्रसाद, न्या.

08 फरवरी, 2023
एचएसके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

"Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation."